बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 208

पोषण का संकट

इस हफ्ते जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग को लेकर चिंता जाहिर करना वाजिब ही है। हर साल जारी होने वाले इस सूचकांक में भारत को इस बार 117 देशों में से 102वां स्थान मिला है। इसका मतलब है कि भूख की तड़प एवं उसके विस्तार पर काबू कर पाने में केवल 15 देश ही भारत से पीछे हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत वर्ष 2010 में 95वें पायदान पर था, लिहाजा यही लगता है कि वह रैंकिंग में नीचे गिरा है। इस सूचकांक में बच्चों का कद के अनुपात में कम वजन, उम्र के अनुपात में कम दिखना, बाल मृत्यु दर और जरूरत से कम पोषण जैसे तमाम संकेतक शामिल होते हैं। यह संभव है कि इन पैमानों पर कुल रैंकिंग भारांक या गणना-पद्धति में छोटे बदलावों के प्रति संवेदनशील हो। लेकिन सूचकांक में शामिल घटकों के अलग-अलग रुझान भी परेशान करते हैं। कद के अनुपात में वजन का पैमाना अधिक परेशान करता है। रिपोर्ट कहती है कि जहां वर्ष 2012 के पहले 16.5 फीसदी बच्चों का वजन कद के अनुपात में नहीं था, वहीं 2014 के बाद से ऐसे बच्चों की संख्या 20 फीसदी से अधिक हो चुकी है। यहां यह खास तौर पर उल्लेखनीय है कि ये आंकड़े मोटे तौर पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे स्रोतों से हासिल संकेतकों से मेल ही खाते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की इस हफ्ते जारी 'विश्व बाल स्थिति' रिपोर्ट में भी ऐसी ही चिंताएं जताते हुए कहा गया है कि 35 फीसदी भारतीय बच्चों का अपेक्षित कद नहीं बढ़ता है, 17 फीसदी दुबले रह जाते हैं और 33 फीसदी बच्चों का वजन कम रहता है। भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहने की पुष्टि इससे भी होती है कि इसके सारे पड़ोसी देश भूख सूचकांक में बेहतर स्थिति में हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया था लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मसले पर सरकारों की लगातार कोशिशों के बावजूद समुचित प्रगति नहीं हो पाई है। साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं भी कुपोषण की एक वजह हो सकती हैं, मसलन, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि खुले में शौच का सिलसिला अब भी जारी है जिसका पोषण पर दुर्भाग्यपूर्ण असर होता है। लेकिन अनवरत आर्थिक वृद्धि के दो दशक बाद भी खानपान के बुनियादी मसले नहीं निपटाए जा सके हैं। हंगर रिपोर्ट कहती है कि छह महीने से लेकर दो साल तक के 90 फीसदी बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार भी नहीं मिल पा रहा। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक 40 फीसदी बच्चे एनीमिया की चपेट में हैं और केवल 40 फीसदी बच्चे, किशोर या माताएं ही हफ्ते में कम-से-कम एक बार दुग्ध उत्पादों का सेवन करते हैं। ऐसी हालत तब है जब दूध उत्पादन छह फीसदी दर से बढ़ा है और नवीनतम पशु गणना में दुधारू गायों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई है।

भारत राज्य को बुनियादी तत्त्वों पर जोर देना होगा और खाद्य वितरण के सवालों को हल करना होगा। किसी इलाके में गेहूं एवं धान उगाने की इच्छा रखने वाले किसानों के समर्थन का एक माध्यम भर रह गई मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने होंगे। यह एक वितरण प्रणाली है, केवल खरीद व्यवस्था नहीं। अब यह सुनिश्चित करने पर जोर होना चाहिए कि कुपोषण का जोखिम झेल रहे बच्चों समेत तमाम भारतीयों को संतुलित एवं पोषक आहार मिले। अगर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में चावल के साथ हल्दी का पानी भर मिल रहा हो तो अनाज के भंडारगृहों में गेहूं एवं चावल का ढेर लगा होने का कोई मतलब नहीं है। दोपहर में बच्चों को सब्जियों एवं प्रोटीन से भरपूर गरम खाना परोसना भूख से जुड़े सवाल हल करने का बढ़िया शुरुआती बिंदु होगा।

अजय मोहंती

पीएमसी संकट के हल में छिपा अवसर

सहकारी बैंकों में फैली अव्यवस्था को हमेशा के लिए दूर करने की जरूरत है। पीएमसी बैंक का संकट इसके लिए माकूल मौका पेश करता है। बता रहे हैं देवाशिष बसु

तीन हफ्ते पहले पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) अचानक धराशायी हो गया। बैंक के तीन लाख से अधिक खाताधारकों ने करीब 11,500 करोड़ रुपये उसमें जमा कर रखे थे। उसने दिवालिया हो चुके रियल एस्टेट समूह एचडीआईएल को 6,500 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज दिया हुआ था। खास बात यह है कि पीएमसी बैंक पर एचडीआईएल ही समान निदेशकों एवं शेयरधारिता के जरिये चोरी-छिपे नियंत्रण कर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक से जमा राशि निकालने पर पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में जमाकर्ताओं का गुस्सा एवं मायूसी बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री की असंवेदनशीलता को लेकर टिप्पणियों की भरमार है। वित्त मंत्री ने जिंदगी भर की बचत स्वाहा हो जाने की हृदयविदारक घटनाओं पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सहकारी बैंक वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं आते हैं।

महाराष्ट्र में आसन्न विधानसभा चुनावों के बीच मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह एक महीने में इस मसले का समाधान निकाल लेंगे। आरबीआई गवर्नर ने असाधारण दावा किया है कि वह किसी भी सहकारी बैंक को डूबने नहीं देगा जबकि पुराने आंकड़े बताते हैं कि हरेक कुछ महीनों पर एक सहकारी बैंक दिवालिया होता है और ऐसे बैंकों की संख्या 1,000 से भी अधिक है। हम सहकारी बैंकों की समस्या दूर करने के लिए एक भी समझदार कदम नहीं उठाया है क्योंकि हमारे पास ऐसे संकट से निपटने का कोई सांचा ही नहीं है। इस लेख में पीएमसी बैंक संकट के समाधान एवं भविष्य में ऐसा संकट पैदा होने से रोकने के लिए जरूरी कदमों के बारे में कुछ विचार रखे गए हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई को तीव्र कार्रवाई करने और कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। यह सरकार तो जब चाहे, नियम बदल सकती है।

तात्कालिक कदम

किसी भी वित्तीय संकट में पहला काम यह होता है कि चल एवं अचल संपत्तियों का मूल्य बचाए रखने के लिए जल्दी से कदम उठाए जाएं। इसके लिए हमें नियमों के एक समूह की जरूरत है या फिर सत्यम और आईएलऐंडएफएस मामलों की तरह जरूरत पड़ने पर हम नए नियम भी बना सकते हैं। पीएमसी बैंक संकट सामने आने के बाद तीन हफ्ते बीत चुके हैं और अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह चौंकानी वाली बात नहीं है क्योंकि नेताओं एवं बाबुओं का कुछ भी दांव पर नहीं होता है लिहाजा वे परिसंपत्ति मूल्य को बचाए रखने पर ध्यान नहीं देते हैं।

दुर्भाग्य से कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। आप यह गौर करेंगे कि जब भी संकट आता है तो राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय जैसी तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इनमें से कुछ एजेंसियां परिसंपत्तियों को जब्त करना शुरू कर देती हैं। नेता संपत्तियों की जब्ती एवं कुर्की की खबरें मीडिया में देखना पसंद करते हैं लेकिन ऐसे कदम जमाकर्ताओं एवं ऋणदाताओं के हितों के खिलाफ है। किसी भी समाधान का फायदा इन्हीं दो समूहों को होता है। आरबीआई या वित्त मंत्रालय को फौरन एक पैनल बनाना चाहिए जिसकी मियाद सीमित हो। इस पैनल को यह दायित्व एवं शक्ति दी जाए कि वह पीएमसी बैंक की परिसंपत्तियों और एचडीआईएल के प्रवर्तकों एवं पीएमसी बैंक के प्रमुख की निजी संपत्तियों को एक एस्क्रो खाते में रख दे और राजस्व विभागों एवं कर्जदाताओं के तदर्थ कदमों से उसे सुरक्षित रखे। आईएलऐंडएफएस मामले में ऐसा ही किया गया था।

सबसे अहम सवाल यह है कि इस पैनल का अगुआ किसे बनाया जाए? यह जिम्मेदारी किसी सामान्य नौकरशाह या बैंकर को दी जाती है तो यह एक निरर्थक कवायद ही साबित होगी। सत्यम घोटाले के सामने आने के बाद समाधान निकालने का काम दीपक पारेख की निगरानी में किया गया था। वहीं आईएलऐंडएफएस को संकट से बाहर निकालने का काम उदय कोटक की देखरेख में चल रहा है। पीएमसी बैंक के लिए बनने वाले पैनल का नेतृत्व दीपक पारेख या एचडीएफसी बैंक के आदित्य पुरी को सौंपा जा सकता है। दोनों ही सख्त एवं व्यावहारिक बैंकर हैं और उन्हें वित्त एवं रियल एस्टेट दोनों क्षेत्रों की समझ है। अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के अलावा पैनल को इसकी मुख्य परिसंपत्ति- बेहद सुचारू ढंग से संचालित शाखाओं एवं जमाकर्ता आधार की बढ़िया कीमत निकालने पर ध्यान देना होगा। मुंबई में खास मौजूदगी नहीं रखने वाले किसी भी बैंक के लिए यह आकर्षण का विषय होगा। लेकिन बैंकिंग लाइसेंस पाने की इच्छा रखने वाली एक चुस्त-दुरुस्त एवं पूंजी से लैस वित्त कंपनी के लिए यह बेहद कीमती होगा। जहां इससे जमा आधार का बड़ा हिस्सा मिलेगा वहीं अभाव की भरपाई सरकार की तरफ से होगी। जब सहकारी बैंकों की नाकामियों के लिए वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार और आरबीआई सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं तब बैंक जमाकर्ताओं के किसी भी तरह का घाटा उठाने का कोई कारण नहीं है। दशकों से कमजोर नियामकीय व्यवस्था होने और विभिन्न सुझावों पर कदम नहीं उठाने से ये बैंक नाकाम साबित होते रहे हैं। पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को सरकार की दरियादिली की कहीं अधिक जरूरत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता गत दिनों ही पांच फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

संकट के बाद

नियामकों को पता है कि सहकारी बैंकों में फैली अव्यवस्था दूर करने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? गत दो दशकों में तमाम सरकारी समितियों एवं कार्यबलों का गठन शहरी सहकारी बैंकों का कामकाज सुधारने के लिए किया गया है। माधव दास समिति (1978), मराठे समिति (1991), माधव राव समिति (1999), मालेगाम समिति (2010) और आर गांधी समिति (2015) इसके लिए ही बनी थीं। इसी तरह वर्ष 2006 में पूंजी परिवर्द्धन और वर्ष 2008 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक छाता संगठन बनाने पर कार्य समूह बनाए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरी सहकारी बैंकों के नाकाम होते रहने की वजह यह है कि हर बार हम तात्कालिक उपचार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अधिकांश विवेकपूर्ण सुझावों को नजरअंदाज किया जाता रहा है।

यहां पर एक सरल सिद्धांत लागू करने की जरूरत है: जमा लेने वाले सभी संगठनों को आरबीआई की एकल निगरानी में लाया जाना चाहिए। पूरी तरह बेअसर रहे सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का जमा लेने वाले संगठनों पर नियमन के साथ कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। इसमें खुद को बैंक कहने वाले वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। शहरी सहकारी बैंकों को छोटे बैंकों में तब्दील होने या अन्य छोटे बैंकों के साथ विलय और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें सहकारी बैंकों एवं छोटे बैंकों के बीच स्वतंत्र एवं सरल विलय की जरूरत है। एक कहावत है, कभी भी संकट को व्यर्थ न जाने दो। पीएमसी बैंक का मामला न केवल सहकारी बैंकों की अव्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देने का बड़ा मौका है बल्कि आईएलऐंडएफएस के साथ मिलकर यह भविष्य में डूबते वित्तीय संस्थानों को उबारने का एक सांचा भी खड़ा करता है।

अहम फैसले देते वक्त पिछली गलतियों से बचे सर्वोच्च अदालत

अदालती आईना

एम जे एंटनी

यह सवाल अंतहीन बहस का मुद्दा है कि क्या न्याय की चक्की को धीरे-धीरे और सुचारु रूप से चलना चाहिए या इसका मकसद तेजी से फैसला देने का होना चाहिए।

जब ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने तीन दिन की सुनवाई के बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ 20 पृष्ठों का फैसला दिया था, तो कुछ लोगों ने इसे हमारी अदालतों के लिए नजीर माना था जहां लोगों को न्याय पाने के लिए दशकों लग जाते हैं। हालांकि ब्रिटेन की अदालत के सामने तुलनात्मक रूप से सरल मसला था लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत व्यापक था। हमारे उच्चतम न्यायालय के सामने कई अपील और रिट याचिकाएं हैं जिनमें इतिहास, पुरातत्व, धर्म, राजनीति, आठ भाषाओं में 20,000 पृष्ठों के दस्तावेज और 8,000 पृष्ठों का उच्च न्यायालय का फैसला है। यदि मुख्य न्यायाधीश ने समयसीमा निर्धारित नहीं की होती तो अयोध्या मामले की सुनवाई इस सप्ताह पूरी नहीं होती।

अमूमन न्यायाधीश जिरह खत्म करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करते हैं। सामान्य मामलों में सुनवाई पूरी होने में कई हफ्ते लग जाते हैं। सुनवाई में तेजी दुर्लभ है और अगर किसी एक न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होना हो तो इससे न्यायिक व्यवधान का खतरा रहता है। अयोध्या मामले में यह उन कारकों में शामिल था जो मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाले पांच न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष थे। वह 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सुनवाई में तेजी के लिए इसे सबसे अहम कारण माना जा रहा है।

वकीलों का एक वर्ग मानता है कि सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायाधीशों को बड़े मामलों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई ऐसे न्यायाधीशों को करनी चाहिए जिनके पास सभी पक्षों की दलीलें सुनने, सम्मेलन करने, टिप्पणियों का आदानप्रदान करने और अंतिम फैसला देने के लिए पर्याप्त समय हो। पिछले मामलों में यह देखने में आया है कि अगर पीठ का कोई एक सदस्य सेवानिवृत्त होने वाला हो तो इससे पीठ के तालमेल में व्यवधान पैदा होता है। ऐतिहासिक माने जाने वाले केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट तौर पर ऐसा हुआ था। सेवानिवृत्त होने जा रहे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और पीठ में शामिल 12 अन्य न्यायाधीशों ने 11 अलग-अलग फैसले दिए। मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले आया यह फैसला 800 पृष्ठों का था। पीठ के एक सदस्य की शिकायत थी कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले थे, इसलिए सदस्यों के बीच मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का समय नहीं था। दिवंगत न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड ने अपने अलग फैसले में लिखा कि इस वजह से न्यायाधीशों के बीच पूरी चर्चा नहीं हो सकी।

कई अन्य मामलों में इस अप्रिय परिदृश्य की पुनरावृत्ति हुई। संविधान के बुनियादी ढांचे से जुड़े एक और ऐतिहासिक मामले मिनर्वा मिल्स वाद में दिवंगत न्यायाधीश पी एन भगवती ने इस मुद्दे पर एक लंबा अंश लिखा। उनका कहना था कि एक न्यायाधीश जल्द सेवानिवृत्त होने जा रहे थे जिसके कारण संविधान पीठ के पास सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने 'न्यायिक सामूहिकता' की जरूरत पर जोर दिया। ओडिशा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी से जुड़े व्यक्तिगत आजादी के एक और प्रसिद्ध मामले में फैसला जल्दबाजी में शनिवार को सुनाया गया जबकि उस दिन अदालत की छुट्टी होती है। पूरा फैसला अगले मंगलवार को उपलब्ध हो पाया था। एक न्यायाधीश ने लिखा कि उसे फैसले सुनाए जाने से एक दिन पहले ही दोपहर को अपने साथी न्यायाधीश से मसौदा मिला था। साथ ही मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने में कुछ ही घंटे थे। न्यायाधीश ने लिखा, 'मेरे पास विस्तृत फैसला लिखने के लिए समय नहीं है।' बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से जुड़े एक मामले में उसी न्यायाधीश ने इसी तरह की टिप्पणी की थी।

अगर न्यायाधीशों के पास एकदूसरे से मंत्रणा करने और छोटे फैसले लिखने के लिए पर्याप्त समय है तो इस तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। दिवंगत कानूनविद एनए पालकीवाला ने एक बार कहा था कि न्यायाधीशों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान की जिंदगी छोटी होती है। मुख्य न्यायाधीश ने हाल में अदालत के फैसलों को राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करने से जुड़ी परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि लोगों को फैसलों को पढ़ना और समझना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुष्प्रचार और मुद्दों के राजनीतिकरण के इस दौर में किसी विचार का सही संचार ज्यादा जरूरी है। न्यायाधीशों को लंबे चौड़े फैसलों के साथ उनका एक सारांश भी देना चाहिए। केशवानंद और मिनर्वा मिल्स मामलों में ऐसा किया गया था। अयोध्या मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने अपने फैसलों में सारांश दिया था।

आने वाले महीनों में निर्णयों का सही अर्थ समझने की अहमियत पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है। लोगों को अयोध्या मामले के फैसले को समझना ही होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मामले में भी न्यायालय का फैसला लोगों की समझ में आना चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद अनिर्दिष्ट फैसलों से अनिश्चितता बढ़ेगी जैसा कि आरक्षण, भूमि अधिग्रहण और सबरीमला के मामलों में हो रहा है। सैकड़ों पृष्ठों के न्यायिक विवेक के बावजूद ये मामले अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं। इसमें स्पष्टीकरण आवेदन, पुनर्विचार याचिकाएं और उपचारात्मक याचिकाएं आएंगी और शायद सड़कों पर प्रदर्शन भी हो सकते हैं। अंत में न्यायाधीशों को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के अपने समकक्षों की तरह यह स्वीकारोक्ति करनी पड़ेगी कि 'हमारी बात इसलिए अंतिम नहीं हैं क्योंकि हम गलती नहीं करते हैं मगर हम गलती इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बात अंतिम हैं।'

कानाफूसी

अनूठी पहल

तेलंगाना के मुलुडु जिले के जिलाधिकारी ने शहर में प्लास्टिक कचरे से निपटने का एक अभिनव तरीका निकाला है। बुधवार को जिलाधिकारी सी नारायण रेड्डी ने घोषणा की कि 1 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा देने के बदले जिला प्रशासन लोगों को एक किलो चावल मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन में वे सारे प्लास्टिक थैले हटाकर उन्हें सीमेंट फैक्टरियों में भेजेंगे जबकि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाएगा। इस योजना में चावल दान देने के लिए अनिवासी भारतीय, स्थानीय राजनेता, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं। अब तक 335 क्विंटल चावल जिला प्रशासन द्वारा जुटाया जा चुका है। जबकि एक अनिवासी भारतीय ने इसके लिए 5 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की है। रेड्डी को आशा है कि 26 अक्टूबर तक जिले की 174 ग्राम पंचायतों से करीब 500 क्विंटल प्लास्टिक एकत्रित हो जाएगा।

घर वापसी

ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी का कांग्रेस से भी मोहभंग हो गया है। उनकी भाजपा में घर वापसी हो गई है। पिछले दिनों वह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ भाजपा मुख्यालय पर अवतरित हुए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने कभी पार्टी छोड़ी ही नहीं थी और विधानसभा में एक विधेयक पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान भ्रामक परिस्थितियों के चलते किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि उस विधेयक पर मतदान में भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। गत जुलाई में दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, 2019 पर मत विभाजन के दौरान नारायण त्रिपाठी और शरद कोल नामक दो भाजपा विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर भाजपा को स्तब्ध कर दिया था। कोल एक महीने पहले ही भाजपा के साथ आ चुके हैं और अब त्रिपाठी ने भी घर वापसी कर ली है।

आपका पक्ष

भूख से निपटने के लिए उचित कदम

हाल में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत सात स्थान फिसलकर 102वें स्थान पर पहुंच गया है। यह स्थान भारत को 117 देशों के बीच मिला है। एक कृषि प्रधान देश का बड़ा तबका भूख से जूझ रहा है जो अफसोस की बात है। रिपोर्ट के अनुसार देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की लंबाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। यह दर अब 20.8 फीसदी हो गई है। इससे साफ है कि इन बच्चों को जरूरी पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के बावजूद देश में भूख मिटाने का अभियान कमजोर नजर आ रहा है। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उन लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। देश में अनाज की कमी नहीं है इसलिए अपर्याप्त भोजन समस्या की रैंकिंग में सुधार हुआ है। लेकिन उत्पादित अनाज में

पोषण की कमी है जिस वजह से देश को विश्व भूख सूचकांक में निचले पायदान में स्थान मिला है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भूख और कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी एवं सरकारी प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से बच्चों को मध्याह्न भोजन का लाभ एवं पोषण युक्त आहार देती है। लेकिन इस क्षेत्र में सुधार की गति सुस्त है।

विश्व भूख सूचकांक में भारत का स्थान गिरकर 102वें स्थान पर पहुंच गया है

भविष्य में जलवायु परिवर्तन की वजह से देश के खाद्यान्न उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है और देश की आबादी भी 1.36 अरब पहुंच गई है। इतनी बड़ी आबादी को भोजन मुहैया कराना सरकार के सामने कठिन चुनौती साबित होगी। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आबादी को नियंत्रित कर कृषि क्षेत्र के लिए सुधारवादी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में वैश्विक भूख सूचकांक में देश का स्तर सुधर जाए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

कौशल युक्त शिक्षा से अर्थव्यवस्था मजबूत

देश में प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ युवा रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद इस वजह से सरकार ने 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना देखा है। लेकिन इस सपने के बीच पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था आ रही है। जब तक स्कूली स्तर पर सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती तब तक भारत के विकास की गाथा पूरी नहीं हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 3 से 4 बच्चे कक्षा 2 की किताबें पढ़ने में अक्षम हैं। हाल में राजस्थान के स्कूलों की स्थिति अखबारों में दिखाई दी है वह शर्मनाक है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था का लाभ तभी है जब स्कूली शिक्षा पूरा करने वाले बच्चों में बुनियादी नींव मजबूत हो सके। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को बुनियादी शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए बच्चों मे लिखने पढ़ने की कुशलता का विकास जरूरी है। कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा की कमी को दूर करना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी जरूरी है तभी प्राथमिक स्तर पर प्रभावशाली तरीके से बच्चे पढ़ने लिखने और सीखने की समझ विकसित कर पाएंगे। शिक्षकों पर भी नैतिक और प्रशासनिक दोनों तरीकों से ही जोर डालकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना जरूरी है।

संगीता चौधरी, जयपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।